

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

केस संख्या :- /20

<p>18/12/24</p>	<p>पत्तावली पेश हुई वकील वारी उपा. इन्तफाक विभाजन प्रताव पत्तावली दिनांक 9/11/24 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">36 उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	<p>या</p>
<p>9/11/24</p> <p><i>नाक</i> <i>मिना</i> <i>काला</i> <i>वारा</i></p>	<p>पत्तावली पेश हुई वकील वारी उपा. विभाजन प्रताव प्राप्त हुआ, जो संलग्न है। बहल वकील वारी भी विभाजन प्रताव पर लुनी गई। बहल लुने व मौका इमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादग्रह बहि पर आवासीय बालेनी बनी हुई है। अतः वादग्रह बहि की सुरेजत रिपोर्ट नहीं किया जा सका मौका इमीशनर रिपोर्ट के आधार पर दावा आरिड किया जाता है। पत्तावली वाद लुनी दाखिल पत्र है।</p> <p style="text-align: right;">31 उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	